

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सपर्येण्ड अधिकारी मुकाम बयाना
 श्री मित्र भारत समाज संस्थान भरतपुर ईकाई बयाना बनाम प्रमा बिन्दल बने
 किसम मुकदमा दावा 53 188 आस्टी एक्ट न सन 95/25

तारीख पृथग	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16/06/25	दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को जरिये समन रजिस्टर्ड से तलब क्रिया जाकर पत्रावली दिनांक 18.08.2025 को पेश हों। पीठरीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 0.10.25 को पेश है।	उप सभ अधिकारी बयाना भरतपुर राज
18/08/25	सीडर ओ/एस.डी.एम.	Copy received 10/10/25
10/10/25	पीठरीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... को पेश है। 3/11/25 प्रतिवादी गण 01 लगा 03 की सीडर ओ/एस.डी.एम.	कोर्ट के लौकिक डीपिड डाप नमा पेश दिनांक नमा शा. नि. धी
26/11/25	पीठरीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... को पेश है। सीडर ओ/एस.डी.एम.	
26/11/25	उक्त पेश हुआ व कुलाम उपर उक्त के पर 01211 पर वृष हुनी वही उक्त वाले आवेष पर दि 11/2/25 को पेश है।	

11/12
25

प्रमुख पैरा हुआ। बहुलाय डप
पत्राली मय दस्तावेजात का अस्वीकृत
किमा गया। प्रमुख में 0211 लागू
नहीं होती है पर 0211 खारिज
की जाती है पत्राली वाले प्रवाय
कि 0 01/12/26 को पैरा है।

211
26

प्रमुख आज वादी द्वारा प्रस्तुत प्रवर्गना
पर के आधार पर तलब किमा गया
प्रमुख में वादी व प्रति की जोर के

आ संख्या
में गणेश का नाम
शुभकर मन्त्रा
01/12/26

राजिनामा पैरा कर प्रमुख का इजा
ज्जर पर निस्तारण किमे जागे
हेतु नियम किमा वादी प्रति
की पहचान 1980 लक्ष्मण प्रपादशमा
वु लक्ष्मण का शिवा 1980 द्वारा की
वही

बुरा
प्रवाय
मनो
मन्त्रा
कर्म

अतः प्रमुख में राजिनामा प्रस्तुत होने
पर आगे कार्यवाही आपेक्षित नहीं है
प्रमुख में इजा ज्जर पर निस्तारित
माना जाकर पत्राली में जल शुभार
द्वारा नम्बर के कम हो वाद-तकमील
वाकिल कतर है।

उपरोक्त अधिकारी
बनाना (भरतपुर)